संख्या: 210 /2019/745 /35-4-2019

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनउ: दिनांक 30 मार्च, 2019**

विषय- केन्द्रीय योजना "सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग प्लान (एस0एस0एस0) के अन्तर्गत "डेवलपमेन्ट ऑफ साफटवेयर फार आनलाइन डाटाइन्ट्री" हेतु वांछित साफ्टवेयर के विकास के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1102/ले0-69-2009, दिनांक 26.11.2018 एवं पत्र संख्या: 287/ले0-69-2009, दिनांक 11.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय योजना "सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग प्लान(एस0एस0एस0) के अन्तर्गत "डेवलपमेन्ट ऑफ साफ्टवेयर फार आनलाइन डाटाइन्ट्री" के लिए साफ्टवेयर विकसित किये जाने हेतु यू0पी0 डेस्को की रू0 41,89,242/- की कार्ययोजना के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 1556/35-4-2016, दिनांक 05.12.2016 द्वारा रू0 10,47,000/- (रू0 दस लाख सैतालिस हजार मात्र) आहरित कर यू0पी0डेस्को, लखनऊ को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। करो की दरों में परिवर्तन के कारण कार्य योजना की अनुमानित लागत रू0 42,19,848/- (रू0 बयालिस लाख उन्नीस हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) हो जाने के कारण नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-30/1092/35-4-2018, दिनांक 01.10.2018 द्वारा सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग (एस0एस0एस0) के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) में से कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु देय अवशेष रू0 31,72,848/- (रू0 इकतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में यू0पी0डेस्को, लखनऊ को किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कृपया भुगतान करने से पूर्व यू0पी0डेस्को, लखनऊ से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अग्रिम पर अर्जित ब्याज की धनराशि को कोषागार में जमा किये जाने की चालान की प्रति प्राप्त कर ली जाय।

3- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018-बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 210 /2019 /745 (1) /35-4-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 9वां तल जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डेस्को, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in